



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया रेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 12.07.2022

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस /आबकारी टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से अवैध कच्ची / देशी शराब एवं अवैध चाकू बरामद:-

आज दिनांक 12.07.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध शराब के निर्माण/बरामदगी/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस/आबकारी टीम द्वारा सूचना पर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिनके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब , 36 पच्चे/12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का एवं अवैध चाकू बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.ओमवीर पुत्र पहल सिंह निवासी ग्राम हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2.नरेश कुमार पुत्र नखली निवासी ग्राम शीतलगढी थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.अवैध कच्ची शराब 20 लीटर।
- 2.अवैध 36 पच्चे/12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का।
- 3.अवैध 01 चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.आबकारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह जनपद शामली।
- 2.उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 3.है0का0 रविन्द्र कुमार आबकारी टीम जनपद शामली।
- 4.है0का0 विकास कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 5.का0 नितिन कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा महिला से दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 12.07.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा महिला से दुष्कर्म के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 20.05.2022 को कैराना क्षेत्रान्तर्गत महिला के साथ दुष्कर्म के संबंध में पीड़िता द्वारा लिखित तहरीर दी गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्त आरिफ उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 232/2022 धारा 328,376,406,323,504,506 भादवि व 3(2)(V) SC/ST ACT में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक कैराना को दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.आरिफ पुत्र फतेह अख्तर निवासी मौ0 आलखुर्द भूरा चुंगी थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री जयकिशोर थाना कैराना जनपद शामली।
- 2.का0 लोकेन्द्र थाना कैराना जनपद शामली।
- 3.का0 अमित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।



थाना बाबरी,थानाभवन,कैराना व कांधला

थाना बाबरी, थानाभवन, कैराना एवं थाना कांधला पुलिस द्वारा अलग-अलग कार्यवाही में 05 वारण्टी अभियुक्त किये गिरफ्तार:-

आज दिनांक 12.07.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन, कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी, थानाभवन, कैराना एवं थाना कांधला पुलिस द्वारा दबिश की कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना बाबरी, थानाभवन, कैराना एवं थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. अनिल पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम हिरनवाड़ा थाना बाबरी जनपद शामली।
2. इमरान पुत्र लियाकत निवासी ग्राम बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली।
3. नरेश पुत्र पवन निवासी ग्राम अलीपुर थाना कैराना जनपद शामली।
4. अख्तर पुत्र जंघी निवासी ग्राम गढीदौलत थाना कांधला जनपद शामली।
5. शौकीन पुत्र रईस निवासी मौ० शहगाजीपुरा कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री रामपाल सिंह थाना बाबरी जनपद शामली।
2. उ०नि० श्री जयकिशोर थाना कैराना जनपद शामली।
3. उ०नि० श्री करतार सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।
4. है०का० जगपाल सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।
5. का० रोहित कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।
6. का० लोकेन्द्र कुमार थाना कैराना जनपद शामली।